



यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश

सैक्टर 18, वृन्दावन योजना, पोस्टकल्ली पश्चिम -
मोहनलाल गंज, लखनऊ, पिन कोड -227 305

फोन 2050242 0522 -, फैक्स 2209519 0522 -

ई मेल -dirtraffic@nic.in

पत्र संख्या-डीटी -दो- 300 - 2016 | 2757

दिनांक लखनऊ : फरवरी, 18, 2016

सेवा में,

- (1) पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- (2) पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- (3) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
- (4) अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
- (5) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (6) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) अपर पुलिस महानिरीक्षक, पावर कारपोरेशन्स, लिमिटेड।
- (8) अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0।
- (9) अपर पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0सं0 उ0प्र0 लखनऊ।
- (10) अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
- (11) अपर पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू0, उ0प्र0 लखनऊ।
- (12) अपर पुलिस महानिदेशक, सहकारिता प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
- (13) अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच, उ0प्र0 लखनऊ।
- (14) पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
- (15) पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
- (16) पुलिस महानिदेशक के सहायक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
- (17) समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
- (18) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
- (19) समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।
- (20) सचिव, सचिवालय प्रशासन, अनुभाग-4 (अधिष्ठान) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- यातायात उपनिरीक्षक तथा यातायात निरीक्षक का नामांकन।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में पूर्व के सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए नवीन आदेश पारित किए गये हैं तथा यातायात पुलिस में पूर्व से स्वीकृत पदों में वृद्धि की गयी है।

2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 08-02-2016 द्वारा प्रथम चरण में यातायात निरीक्षक ना0पु0 के कुल 27 पद व यातायात उपनिरीक्षक ना0पु0 के कुल 87 पदों की वृद्धि की गयी है।

3- यातायात निरीक्षक के 27 व यातायात उपनिरीक्षक के 87 पद नागरिक पुलिस के हैं, और इन्हें नागरिक पुलिस से ही भरा जायेगा।

4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 14-12-2015 के प्रस्तर यातायात उपनिरीक्षक/निरीक्षक की चयन प्रक्रिया के उपप्रस्तर 1- अर्हता के अन्तर्गत यातायात निरीक्षक/उपनिरीक्षक के पदों को भरने की प्रक्रिया एवं अर्हताएं निम्न प्रकार होंगी:-

- (1) यातायात निरीक्षक हेतु ऐसे निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पी0ए0सी0 के कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 50 वर्ष से कम आयु के हों।
- (2) यातायात उपनिरीक्षक हेतु ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पीएसी के प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 40 वर्ष से कम आयु के हो एवं जिन्होंने उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर कम से कम 07 साल की सेवा पूरी की हो।
- (3) उनकी विगत 05 वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।
- (4) विगत 05 वर्षों में उन्हे कोई लघु दण्ड अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो।
- (5) विगत 05 वर्षों में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- (6) विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

5- पत्र दिनांक 14-12-2015 के प्रस्तर यातायात उपनिरीक्षक/निरीक्षक की चयन प्रक्रिया के उपप्रस्तर (2) के अनुसार प्रत्येक जनपद द्वारा यातायात उपनिरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के पदों को भरे जाने हेतु नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन प्राप्त किए जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की अलग-अलग सूची तैयार कर जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।

6- प्रत्येक जोन से इन सूचियों की समीक्षा हेतु अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी जो इन सभी प्राप्त नामांकनों का उपरोक्त दी गयी अर्हताओं के वृष्टिगत परीक्षण करेगी एवं सही पाये गये नामांकनों को जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उपनिरीक्षक यातायात एवं निरीक्षक यातायात की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर यातायात निदेशालय को भेजी जायेगी।

7- पत्र दिनांक 14-12-2015 के प्रस्तर यातायात उपनिरीक्षक/निरीक्षक की चयन प्रक्रिया के उपप्रस्तर (3) के अनुसार पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन संबंधित इकाईयों के मुख्यालय पर एकत्रित किए जायेंगे एवं इन नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों के नामांकन संकलित कर ज्येष्ठता के आधार पर इनकी अलग-अलग सूची बनाकर यातायात निदेशालय को भेजा जायेगा।

8- अनुरोध है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निरीक्षक यातायात तथा उपनिरीक्षक यातायात के पदों हेतु निरीक्षक ना0पु0 व उपनिरीक्षक ना0पु0 की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर यातायात निदेशालय को दिनांक 28-02-2015 तक संलग्न प्रारूप 'आ' व 'ब' में (**MS Excel, Font-Kruti Dev 010** में तैयार कराकर) कम्प्यूटर सीडी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- यह भी अनुरोध है कि यदि कोई निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस आपके अधीन जनपद/इकाई से अन्यन्त्र प्रतिनियुक्ति पर अथवा अन्य कारणवश अन्यत्र नियुक्त/सम्बद्ध किया गया हो और उसका लियन आपके अधीन हो, जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करता हो, तो ऐसे उपयुक्त कर्मियों के नामांकन भी अपने स्तर से यातायात निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अनिल अग्रवाल
१५/२०१६

अपर पुलिस महानिदेशक/ निदेशक यातायात
उ0प्र0लखनऊ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना) उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या- डीजी-चार-103(29)2014 दिनांक 14-12-2015 व दिनांक 8-2-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

यातायात निरीक्षक हेतु निरीक्षक नागरिक पुलिस की सूची

क्र० सं	अमर्थी का नाम	पीएनओ	ज़०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	निवास का जनपद इकाई	नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्म तिथि 1-7-2016 को कुल आयु	दिनांक वर्षों की इकाई	विगत 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा का वर्षवार विवरण (वर्ष 2011 से 2015)	विगत 05 वर्षों में प्राप्त लघु/दीर्घ दण्ड का विवरण वर्ष (वर्ष 2011 से 2015)	विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग का विवरण, पत्र दिया गया हो,	दो पहिया वाहन चलाना जानते हैं, तो वैध लाइसेन्स सख्त्या	
1	2	3	4	5	6	7	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14

यातायात उपनिरीक्षक हेतु उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सूची

क्र० सं	अमर्थी का नाम	पीएनओ	ज़०प्र० पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रकाशित अंतिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	निवास का जनपद इकाई	नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्म तिथि 1-7-2016 को कुल आयु	दिनांक वर्षों की इकाई	उपनिरीक्षक नायु के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि	दिनांक वर्षों की इकाई	विगत 05 वर्षों की सत्यनिष्ठा का वर्षवार विवरण (वर्ष 2011 से 2015)	विगत 05 वर्षों में प्राप्त प्रतिकूल प्रविष्टि का विवरण वर्ष (वर्ष 2011 से 2015)	विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग का विवरण, पत्र दिया गया हो,
1	2	3	4	5	6	7	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	वर्ष माह दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
												15
												16

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-चार-103(29)2014

दिनांक: लखनऊ: दिसम्बर 14 2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान में यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागीय आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेशों में एकरूपता नहीं होने के कारण समय-समय पर मात्र उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की जाती रही हैं एवं विभाग में संशय की स्थिति बनी रहती है। अतः उन सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यातायात कर्मियों के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

वर्तमान में यातायात पुलिस का निर्धारित नियतन निम्नवत है :-

- यातायात निरीक्षक-09
- यातायात उपनिरीक्षक-90
- मुख्य आरक्षी यातायात-501
- आरक्षी यातायात-3056 (कुल 3656)

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के विकसित होने एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत यह नियतन काफी कम है एवं उक्त नियतन में यातायात पुलिस का उचित ढंग से संचालन करने में कठिनाई हाँ रही है। इस संबंध में यातायात निदेशालय के पूर्व में प्रेषित किए गए यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि किए जाने के प्रस्तावों के दृष्टिगत यातायात पुलिस में निम्न अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती का जाएगी:-

- यातायात निरीक्षक-86
- यातायात उपनिरीक्षक-1069
- मुख्य आरक्षी यातायात-3431
- आरक्षी यातायात-8595 (कुल 13181)

उपरोक्त सभी कर्मी पुलिस विभाग के नागरिक पुलिस के कुल नियतन में से तैनात किए जाएंगे एवं यह समस्त कर्मी नागरिक पुलिस के विभिन्न पदों पर पुलिस बल की कुल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में यातायात निदेशालय वर्तमान में पुलिस बल की उपलब्धता के सापेक्ष विभिन्न जनपदों का कार्यकारी नियतन प्रस्तावित कर

16/11/2015

17/11/2015

Arch 16

(इकलौद रेडी)

इस मुख्यालय को प्रेषित करेगा जिसे तदनुसार अनुमोदित कर सभी संबंधित को प्रेषित किया जाएगा । जैसे-जैसे पुलिस बल में भर्तियों के उपरान्त पदों में संख्या वृद्धि होगी, तदनुसार इस नियतन को भी संशोधित किया जायेगा ।

यातायात पुलिस में भविष्य में निरीक्षक यातायात, उपनिरीक्षक यातायात, मुख्य आरक्षी यातायात तथा आरक्षी यातायात के पदों पर चयन, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी की चयन प्रक्रिया

यातायात आरक्षी/मुख्य आरक्षी का चयन नागरिक पुलिस के आरक्षी/मुख्य आरक्षी में निम्न प्रकार किया जाएगा:-

1-अहंता

- 1- यातायात मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जो 45 वर्ष से कम आयु के हों।
- 2- यातायात आरक्षी हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस जो 35 वर्ष से कम आयु के हों एवं जिन्होंने आरक्षी के पद पर कम से कम 05 साल की सेवा पूरी की हो।
- 3- उनकी विगत 05 वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।
- 4- विगत 05 वर्षों में उन्हें कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो ।
- 5- विगत 05 वर्षों में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- 6- विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद के पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस की डियूटी के अनुरूप शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिससे उनका मत हो कि उक्त कर्मी यातायात पुलिस की डियूटी हेतु उपयुक्त नहीं है, तो वह इस संबंध में कारणों को अधिलिखित करते हुए अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा ।

2- चयन प्रक्रिया

पुलिस महानिदेशक, ००प्र० के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक वर्ष प्रथम तिमाही में यातायात निदेशालय मुख्य आरक्षी यातायात एवं आरक्षी यातायात के रिक्त पदों/भविष्य में उस वर्ष रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु विभागीय निर्देश जारी करेगा । तदनुसार सभी जनपदों में उपरोक्त अहंताएं रखने वाले कर्मियों के नामांकन मांगे जाएंगे । उपरोक्त सभी नामांकनों में से कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के आधार पर एक सूची बनाई जाएगी एवं उनके सेवाभिलेखों के आधार पर उपरोक्त अहंताएं न रखने वाले कर्मियों को इस सूची में से निकाल दिया जाएगा । शेष बच हुए कर्मियों की उनकी ज्येष्ठता के क्रम के आधार पर जनपद में यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के रिक्त पदों के सापेक्ष अलग-अलग चयन सूची बनायी जायेगी । उपरोक्त

यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के सबध में चयनित किए गए पुलिस कर्मियों की सूची को प्रशिक्षण कराए जाने हेतु यातायात निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

3- प्रशिक्षण

उपरोक्त चयनित सभी मुख्य आरक्षियों/आरक्षियों को यातायात निदेशालय, यातायात प्रशिक्षण हेतु भेजेगा। केवल प्रशिक्षण में सफल पाए गए पुलिस कर्मियों को उसके नियुक्ति के जनपद में संबन्धित जनपद पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी/आरक्षी के पद पा तैनात किया जाएगा।

यातायात उपनिरीक्षक/निरीक्षक की चयन प्रक्रिया

यातायात उपनिरीक्षक/यातायात निरीक्षक के पदों को भरने की प्रक्रिया एवं अर्हताएं निम्न प्रकार होंगी:-

1-अर्हता

- 1- यातायात निरीक्षक हेतु ऐसे निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पी०ए०सी० के कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 50 वर्ष से कम आयु के हों।
- 2- यातायात उपनिरीक्षक हेतु ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं पी०ए०सी० के प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस जो 40 वर्ष से कम आयु के हों एवं जिन्होंने उपनिरीक्षक अथवा समकक्ष पद पर कम से कम 07 साल की सेवा पूरी की हों।
- 3- उनकी विगत 05 वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो।
- 4- विगत 5 वर्षों में उन्हें कोई लघु अथवा दीर्घ दण्ड न मिला हो।
- 5- विगत 05 वर्षों में उन्हें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- 6- विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग में आरोप-पत्र न दिया गया हो।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक अथवा इकाई के पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी अपने स्तर से किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस की डियूटी के अनुरूप शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिससे उनका मत हो कि उक्त कर्मी यातायात पुलिस की डियूटी हेतु उपयुक्त नहीं है, तो वह इस संबंध में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं एवं इस संबंध में संबंधित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

चयन प्रक्रिया

वर्तमान में यातायात उपनिरीक्षक पद पर स्वीकृत नियतन 90 है जो पूर्व की भाँति पी०ए०सी० से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस पत्र में अंकित किए गए 1069 यातायात उपनिरीक्षक के पद, नागरिक पुलिस से उपलब्धता के आधार पर भरे जाएंगे। इसी प्रकार

वर्तमान में यातायात निरीक्षक के 09 पद स्वीकृत हैं जो पूर्व की भाँति पी0ए०सी० में भा जायेंगे। इसके अतिरिक्त इस पत्र में अंकित किए गए 86 यातायात निरीक्षकों के पद नागरिक पुलिस से उपलब्धता के आधार पर भरे जायेंगे। पुलिस महानिदेशक, ३०३० के अनुमोदनोपरान्त यातायात निदेशालय यातायात उपनिरीक्षकों एवं यातायात निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय निर्देश जारी करेगा एवं नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी :-

(1) पी0ए०सी० के लिए यातायात उपनिरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के रिक्त पदों के लिए कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के अलग-अलग नामांकन पी0ए०सी० मुख्यालय स्तर पर एकत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस की अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी। इन सूचियों को समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जायेगी जो इन सभी प्राप्त नामांकनों का उपरोक्त दिए गए अर्हताओं के दृष्टिगत परीक्षण करेगी एवं सही पाये गये नामांकनों की पी0ए०सी० मुख्यालय द्वारा कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा प्लाटून कमाण्डर/उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर यातायात निदेशालय को भेजी जायेगी।

(2) प्रत्येक जनपद द्वारा यातायात उपनिरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक के पदों को भर जाने हेतु नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन प्राप्त किए जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की अलग-अलग सूची तैयार कर जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। प्रत्येक जोन में इन सूचियों को समीक्षा हेतु अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जायेगी जो इन सभी प्राप्त नामांकनों का उपरोक्त दिए गए अर्हताओं के दृष्टिगत परीक्षण करेगी एवं सही पाये गये नामांकनों को जोनल पुलिस महानिरीक्षक द्वारा उपनिरीक्षक यातायात एवं निरीक्षक यातायात की सूची ज्येष्ठता के आधार पर अलग-अलग बनाकर, यातायात निदेशालय को भेजा जायेगा।

(3) पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों में उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन संबंधित इकाईयों के मुख्यालय पर एकत्रित किए जायेंगे एवं इन नामांकनों में से उपरोक्त अर्हता रखने वाले उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के नामांकन संकलित कर ज्येष्ठता के आधार पर इनकी अलग-अलग सूची बनाकर यातायात निदेशालय को भेजा जायेगा।

(4) पुलिस महानिदेशक द्वारा यातायात निरीक्षक एवं यातायात उपनिरीक्षक के चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जो यातायात निदेशालय पर प्राप्त उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की सूचीयां संकलित कर ज्येष्ठता के आधार पर उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों की अलग-अलग सूचीयां तैयार करेगी। इन ज्येष्ठता सूचीयों में से यातायात उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची बनाई जायेगी। चयन सूची रिक्त पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी। यह चयन सूचीयां पी0ए०सी० एवं नागरिक पुलिस के लिए इनकी उक्त पदों पर रिक्तियों के सापेक्ष अलग-अलग बनायी जायेगी। उपरोक्त चयनित

उपनिरीक्षकों/निरीक्षकों को यातायात प्रशिक्षण हतु भजा जायेगा। कवल प्रशिक्षण में सामूल पाय गये कर्मियों को पुलिस महानिदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त यातायात उपनिरीक्षक/यातायात निरीक्षक के पद पर तैनात किया जायेगा।

सामान्य निर्देश

- (1) यातायात पुलिस में यातायात निरीक्षक/यातायात उपनिरीक्षक पद पर अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।
- (2) यातायात पुलिस में मुख्य आरक्षी/आरक्षी के पद पर अधिकतम कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।
- (3) एक पद पर समयावधि पूर्ण करने पर पुलिस कर्मी यातायात पुलिस में पुनः उम पद पर तैनात नहीं किये जायेंगे, किन्तु अगर पदोन्तति के उपरान्त उन्हें यातायात पुलिस में उच्च पद पर तैनात किया जाता है तो ऐसे में उनके मुख्य आरक्षी के पद पर अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष का होगा एवं यातायात निरीक्षक/यातायात उपनिरीक्षक के पद पर अधिकतम कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।
- (4) किसी भी पुलिस कर्मी को समयावधि पूर्ण होने के पूर्व प्रशासनिक कारणों से किसी भी समय यातायात पुलिस में किसी दूसरे जनपद अथवा उसके लियन के संवर्ग में बापम स्थानान्तरण किया जा सकता है। अगर किसी यातायात पुलिस कर्मी के सम्बन्ध में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसे भविष्य में यातायात पुलिस में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- (5) यातायात पुलिस कर्मियों की किसी भी जनपद, परिक्षेत्र अथवा जोन में अधिकतम तैनाती की अवधि तत्समय प्रचलित शासनादेशों के अनुसार होगी।
- (6) यातायात पुलिस निरीक्षक की तैनाती एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण पूर्व की भाँति मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर किये जायेंगे।
- (7) यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक की तैनाती एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण यातायात मुख्यालय स्तर पर किये जायेंगे।
- (8) यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी को तैनाती जनपद के पुलिस अधीक्षक स्तर पर की जायेगी, किन्तु इन पदों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण यातायात मुख्यालय स्तर पर किये जायेंगे।
- (9) यातायात पुलिस में तैनाती अवधि पूर्ण करने अथवा किसी उच्च पद पर प्रोन्ति प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी पुलिस कर्मी को सम्बन्धित स्तर के स्थापना बोर्ड द्वारा उसके लियन के संवर्ग में बापस स्थानान्तरण किया जायेगा।
- (10) किसी भी कर्मी के यातायात पुलिस में तैनाती के दौरान उसका अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण उसकी उस जनपद में समय अवधि पूर्ण करने पर अथवा उसके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है, किन्तु यह

सभी स्थानान्तरण सम्बन्धित स्थापना बोर्ड द्वारा किसी जनपद के यातायात पुलिस के नियतन एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए ही किये जायेंगे।

- (11) यातायात पुलिस के किसी भी मुख्य आरक्षी अथवा आरक्षी को अग्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से यातायात पुलिस से हटाया जाना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में यातायात निदेशालय के अनुमोदनोपरान्त ही सम्बन्धित जनपद स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी। यातायात उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में यह कार्यवाही यातायात मुख्यालय द्वारा एवं यातायात निरीक्षक के सम्बन्ध में यह कार्यवाही मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर पर की जायगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि यातायात पुलिस कर्मियां के नामांकन चयन, अहर्ता, प्रशिक्षण, तैनाती एवं स्थानान्तरण आदि के संबंध में निर्गत किये जा रहे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन/परिशीलन कर भविष्य में तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

hml

14/12/15

(जगमोहन यादव)

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश।

1/CTAX ZONE/RLYHG/KCHG/TRGH

कृष्ण घाटी संस्कृति को लक्षणीय

FAC और DGP